



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:- 23-12-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त को मादक पदार्थ के तस्करी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 17 माह के कारावास तथा कुल 5000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 652/2023, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र केवलचन्द्र निवासी महादेवा पो0 कुसरना थाना केराकत जनपद जौनपुर को थाना-जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 23-12-2024 को मा0 न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त राजेश उपरोक्त को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में को 17 माह के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 07 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी